राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2880 / 2021	बालू राम	1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर। 3. पुलिस महानरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर। 4. पुलिस अधीक्षक, टोंक।
2.	2879 / 2021	शंकर लाल	1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर। 3. पुलिस महानरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर। 4. पुलिस अधीक्षक, टोंक।

आदेश की दिनांक : 08.06.2023

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री शिव एस ओला, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 2880 / 2021 बालूराम की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार कथन है कि अपीलार्थी को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.12.2014 (अनुलग्नक–2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 (अ) में अंकित प्रावधानानुसार वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी जाकर पदोन्नति संवर्ग पाठयक्रम हेतु नामांकित किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति संवर्ग पाठयक्रम में भाग लेकर उत्तीर्ण घोषित किए जाने पर आदेश दिनांक 10.08.2015 (अनुलग्नक–3) द्वारा उनको हैड कांस्टेबल का बैल्ट नं. आंवटित किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु

गेलेन्ट्री प्रमोशन दिया गया और वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 की हैड कांस्टेबल की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रक्रिया हेतु पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा 02.12.2015 को पत्र जारी किया गया (अनुलग्नक–5), जिसमें समस्त पात्र कार्मिकों को लिखित में सूचित कर हस्ताक्षर मय दिनांक हेतु आदेशित किया गया और इसमें आवेदन की अन्तिम तिथि 22.07.2015 सांय काल 5:00 बजे तक निर्धारित की गई। अपीलार्थी उस वक्त पदोन्नति संवर्ग पाठयक्रम में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु गया था। इस कारण उसको सूचना प्राप्त नहीं हुई और इस पदोन्नति परीक्षा में उनके द्वारा भाग नहीं लिया जा सका और इस कारण उनसे कनिष्ठ कर्मचारी जिन्होंने इस पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया, वे वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत हो गए और अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर उनसे कनिष्ठ हो गया। अपीलार्थी ने हैड कांस्टेबल की जिला टोंक की वरिष्ठता सूची वर्ष 2016–17 में उसका नाम अपने कनिष्ठों से ऊपर रखने हेतु अभ्यावेदन दिया (अनुलग्नक–7) एवं अधिकरण में अपील प्रस्तुत करने पर अधिकरण के अपील संख्या 4433/2019 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर आख्यात्मक आदेश से निस्तारित करने हेतु आदेशित किया (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 के हैड कांस्टेबल की पदोन्नति परीक्षा की सूचना प्राप्त हुई, जो महिला थाना टोंक के पत्र दिनांक 14.04.2021 (अनुलग्नक–8) से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा अधिकरण के आदेश की अनुपालना में जारी आख्यात्मक आदेश दिनांक 18.05.2021 (अनुलग्नक–1) नियमानुसार नहीं है, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है। इसे अपास्त कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर सूचना के अभाव में वर्ष 2011–12 की पदोन्नति परीक्षा में उनके द्वारा भाग नहीं लिए जाने के आधार पर उनका वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति किया जावे और प्रत्यर्थी विभाग के गेलेन्ट्री प्रमोशन आदेश दिनांक 05.12.2014 को संशोधित कर एएसआई के पद पर गेलेन्ट्री प्रमोशन करने हेतु आदेशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 28 (अ) के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। वर्ष 2011–12 और वर्ष 2013–14 की हैड कांस्टेबल की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित पदोन्नति परीक्षा हेतु अपीलार्थी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ और

उनके द्वारा पदोन्नति परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है। लिहाजा बिना पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण किए पदोन्नति दिए जाना संभव नहीं है। साथ ही अपील भी अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपीलों पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.12.2014 (अनुलग्नक–2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 (अ) में अंकित प्रावधानानुसार वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति दी जाकर पदोन्नति संवर्ग पाठयक्रम हेतु नामांकित किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति संवर्ग पाठयक्रम में उत्तीर्ण घोषित किए जाने पर आदेश दिनांक 10.08.2015 (अनुलग्नक–3) द्वारा उनको हैड कांस्टेबल का बैल्ट नं. आंवटित किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु गेलेन्ट्री प्रमोशन दिया गया और वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 की हैड कांस्टेबल की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रक्रिया हेतु पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा 02.12.2015 को पत्र जारी किया गया, जिसमें समस्त पात्र कार्मिकों को लिखित में सूचित कर हस्ताक्षर मय दिनांक हेतु आदेशित किया गया और इसमें आवेदन की अन्तिम तिथि 22.07.2015 सांय काल 5:00 बजे तक निर्धारित की गई। अपीलार्थी उस वक्त पदोन्नति संवर्ग पाठयक्रम में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर में 29.07.2015 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु गया था। इस कारण उसको सूचना प्राप्त नहीं हुई और इस पदोन्नति परीक्षा में उनके द्वारा भाग नहीं लिया जा सका और इस कारण उनसे कनिष्ठ कर्मचारी जिन्होंने इस पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया, वे वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत हो गए और अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर उनसे कनिष्ठ हो गया। अतः उनका निवेदन है कि सूचना के अभाव में वर्ष 2011–12 की पदोन्नति परीक्षा में उनके द्वारा भाग नहीं लिए जाने के आधार पर उनका वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति किया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को गेलेन्ट्री प्रमोशन आदेश दिनांक 05.12.2014 को संशोधित कर एएसआई के पद पर पदोन्नत करने हेतु निर्देशित किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 28 (अ) के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। वर्ष 2011–12 और वर्ष 2013–14 की हैड कांस्टेबल की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित पदोन्नति परीक्षा हेतु अपीलार्थी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ और उनके द्वारा पदोन्नति परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है। लिहाजा बिना पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण किए पदोन्नति दिए जाना संभव नहीं है। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की वर्ष 2014–15 की हैड कांस्टेबल की रिक्तियों के विरूद्ध राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 28 (अ) के तहत पदोन्नति प्रदान की गई है। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा हैड कांस्टेबल के वर्ष 2011–12 के रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया है। उनका कथन है कि उस समय अपीलार्थी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर में प्रशिक्षणाधीन थे। इस कारण उन्हें उक्त पदोन्नति प्रक्रिया की सूचना नहीं मिल पाई और उनके द्वारा भाग नहीं लिया गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल हेतु पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रिया पदोन्नति परीक्षा में भाग लिए जाने और परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अपीलार्थीगण द्वारा इसमें कोई भाग नहीं लिया गया। अतः बिना पदोन्नति परीक्षा में भाग लिए हुए वर्ष 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल हेतु पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलार्थी बालूराम द्वारा अधिकरण के समक्ष पूर्व में एक अपील 4433/2019 प्रस्तुत की गई। अधिकरण के आदेश दिनांक 20.12.2019 से प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित करने हेतु आदेशित किया है। प्रत्यर्थी पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 18.05.2021 द्वारा आख्यात्मक आदेश पारित कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 की हैड कांस्टेबल के पद की योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थी बालूराम का कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें इस परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है और वरिष्ठता सूची में जिस कार्मिक द्वारा जिस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण की गई है उसी अनुरूप वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है। साथ ही यह भी निर्धारित किया की अपीलार्थी बालूराम की एएसआई के पद पर निर्धारित सेवावधि पूर्ण नहीं होने के कारण उनको एएसआई की वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। अपीलार्थी बालूराम द्वारा उक्त आदेश दिनांक

18.05.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जहां तक अपीलार्थी शंकर लाल का प्रश्न है उसके द्वारा प्रथम बार ही अधिकरण में अपील प्रस्तुत की गई है। इससे पूर्व उसके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु इसके शेष तथ्य बालूराम के प्रकरण के समान है।

प्रकरण के तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के जिन वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित पदोन्नति हेतु परीक्षा में भाग नहीं लिया है। उन वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी बालूराम के प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या–4 पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2021 पूर्ण विधि सम्मत है। इसमें तरह का हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी शंकर लाल के प्रकरण में उसके द्वारा अत्यंत विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है और इनको भी उन वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जा सकता है जिन वर्षों की रिक्तियों के संबंध में आयोजित होने वाली पदोन्नति परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है। अतः अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 2880/2021 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपील संख्या 2879/2021 की पत्रावली में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)